

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्री वसन्तलाल जैन  
जाति जैन  
निवासी वेरा की गली जावाल  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 55 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख ज इस हुक्म की मंजूरी जारी हुए
25.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 07.05.2022 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका जावाल के गठन के बाद उक्त नगरपालिका द्वारा कितने पट्टे जारी किए गए हैं। उक्त समस्त पट्टों से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 07.05.2022 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका जावाल के गठन के बाद उक्त नगरपालिका द्वारा कितने पट्टे जारी किए गए हैं। उक्त समस्त पट्टों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जाये। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 843 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(डॉ. भेंवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

